

संशोधित नियमावली

1. संस्था का नाम : मानव विकास एवं कल्याण संस्था
2. संस्था का पता : बार्ड नं० 5 लोक मान्य तिलक नगर सकलडीहा रोड
जिला-चन्दीली
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण भारत वर्ष
4. संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग :-

वह भारतीय जो बालिग हो, संस्था के उद्देश्यों के प्रति निष्ठा रखता हो, संस्था के उद्देश्यों के प्रति आस्थावान हो, ऐसा व्यक्ति संस्था की सदस्यता ग्रहण कर सकता है। उनकी सदस्यता निम्नवत् होगी।

क. आजीवन सदस्य : जो व्यक्ति संस्था के कोष में कम से कम 5000/-₹0 नकद धनराशि या उससे अधिक मूल्य की चल-अचल सम्पत्ति एक बार में देगा, वे संस्था के आजीवन सदस्य माने जायेंगे।

ख. विशिष्ट सदस्य : ऐसे सम्मानित व्यक्ति जो संस्था के हित में कम से कम 8000/-₹0 नकद राशि या उससे अधिक धनराशि निस्वार्थ भाव से संस्था कोष में देगा, वे संस्था के विशिष्ट सदस्य माने जायेंगे।

ग. सामान्य सदस्य : वे व्यक्ति जो संस्था को 300/-₹0 रुपये नकद वार्षिक सदस्यता शुल्क के रूप में देगा वे संस्था के सामान्य सदस्य माने जायेंगे।

घ. संस्थापक सदस्य : ऐसे व्यक्ति जो संस्था की स्थापना के समय से ही अपने तन, मन, धन से पूर्ण रूपेण सहयोग देते आ रहे होंगे, वे संस्था के संस्थापक सदस्य होंगे।

ङ. संरक्षक सदस्य : संस्था के प्रबन्ध समिति के दो तिहाई बहुमत से संरक्षक सदस्य मनोनीत कर दिये जायेंगे।

1. प्रबन्धसमिति इस नियम को आवश्यकतानुसार शिथिल कर सकती है तथा सदस्य बनने के इच्छुक व्यक्ति की भावनाओं की जाँच पड़ताल करके उन्हें सदस्य बनाने की स्वीकृति दे सकती है।
2. सदस्यता के लिए लिखित आवेदन देने तथा कार्यकारिणी समिति द्वारा अनुमोदित होने पर सदस्यता प्राप्त करेंगे।

नोट
Dr. Rajesh Kumar Verma
Dr. Sanjay Kumar
Dr. Anil Kumar

Dr. Sunam Singh
संस्था प्रतिक्रिया
इसे प्रारम्भिक निष्पक्ष
अनुमोदित एवं विशुद्ध
प्राप्तकर्ता मानकर स्वीकार
किया गया है।
22.11.2020

प्रतिक्रिया
किया गया है।

5. सदस्यता की समाप्ति

- : निम्न तथ्यों के आधार पर संस्था की सदस्यता समाप्त समझी जायेगी।
1. किसी सदस्य के मृत्यु होने पर।
 2. वार्षिक सदस्यता शुल्क समय पर अदा न करने पर।
 3. किसी सदस्य के पागल या दिवालिया घोषित होने पर।
 4. किसी सदस्य के न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर।
 5. बिना सूचना या कारण बताये लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने पर।
 6. किसी सदस्य के स्वयं लिखित त्याग पत्र देने पर।
 7. किसी सदस्य के संस्था के विरुद्ध हानिकारक कार्य करने एवं उसकी मर्यादा के प्रतिकूल आचरण करने पर।

6. संस्था के अंग

: संस्था के निम्न दो अंग होंगे।

- (अ) साधारण सभा
(ब) प्रबन्धकारिणी समिति

7. साधारण सभा(क) गठन

संस्था के सभी वर्ग के सदस्यों को मिलाकर नियमावली के कालम नं. चार के अनुसार साधारण सभा का गठन किया जायेगा।

(ख) बैठकें

: साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष में कम से कम एक बार तथा विशेष बैठक आवश्यकतानुसार किसी भी समय अधिकृत व्यक्ति की अनुमति से बुलाई जा सकती है।

(ग) सूचना अवधि

: साधारण सभा की सामान्य बैठक की सूचना बैठक तिथि से 10 दिन पूर्व तथा विशेष आवश्यक बैठक की सूचना बैठक तिथि से दो दिन पूर्व सभी सदस्यों को लिखित रूप से दी जायेगी। सूचना निम्न प्रकार से दी जायेगी:-

संस्था के सभी सदस्यों के पास नोटिस अथवा प्रतियाँ घुमाकर तथा ऐसी नोटिस या सूचना की प्राप्ति के प्रमाण स्वरूप सदस्यों का हस्ताक्षर प्राप्त करना।

डाक द्वारा डाक प्रमाण पत्र के अन्तर्गत नोटिस भेजकर।

ई-मेल द्वारा जिसका प्रमाण उपलब्ध हो सकें।

Dr. Rajesh Kumar Verma

Dr. Sanjay Kumar

Dr. Anil Kumar

Ram Singh

Suresh Singh

सत्य प्रतिलिपि

इसे राष्ट्रीयक निदेशक
कर्म सौभाग्यवीर एवं विश्व
वाचस्पती मन्त्र बाराणसी

16
21.2.20

राष्ट्रीयक कर्म
विश्व कर्म

(घ) गणपूर्ति : संस्था के सभी प्रकार के सदस्यों के कम से कम दो तिहाई (2/3) उपस्थिति में सभी बैठकों की गणपूर्ति पूर्ण मानी जायेगी।

(ङ) वार्षिक अधिवेशन:-

संस्था का वार्षिक अधिवेशन 31 मार्च को हर वर्ष हुआ करेगी।

(च) साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य:-

1. संस्था की वार्षिक बैठक में संस्था के विगत वर्ष के बजट एवं कार्य-कलापो पर विचार विमर्श करना एवं आगामी वर्ष हेतु बजट का अनुमोदन करना।
2. संस्था के नियमों एवं विनियमों में नियमानुसार संशोधन एवं परिवर्तन हेतु स्वीकृति प्रदान करना।
3. प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का चुनाव करना।
4. संस्था के हित में अन्य कार्यक्रमों का निर्धारण करना।
5. प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव पर विचार कर उसे स्वीकृति देना।

Dr. Pankaj Kumar
Dr. Sangeet Kumar
Dr. Anil Kumar

Pran Singh
Suman Singh

8. प्रबन्धकारिणी समिति:-

(क) गठन :- साधारण सभा के 2/3 बहुमत से प्रबन्धकारिणी समिति का गठन किया जायेगा जिसमें अध्यक्ष, उपअध्यक्ष, प्रबन्धक/महामंत्री, उपप्रबन्धक/मंत्री, कोषाध्यक्ष के अलावा 6 प्रबन्ध समिति के सदस्य होंगे।

(ख) बैठके :- प्रबन्धसमिति की सामान्य बैठक वर्ष में कम से कम दो बार तथा विशेष आवश्यक बैठक आवश्यकतानुसार किसी भी समय अधिकृत सदस्य अर्थात् प्रबन्धक एवं उपप्रबन्धक की अनुमति से बुलाई जा सकती है।

(ग) सूचना अवधि :- प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक की सूचना बैठक से 10 दिन पूर्व तथा विशेष आवश्यक बैठक की सूचना बैठक से 1 दिन पूर्व सभी सदस्यों को लिखित रूप से दी जायेगी।

(घ) गणपूर्ति :- प्रबन्धकारिणी समिति के सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों की कम से कम 2/3 उपस्थिति में सभी बैठकों की गणपूर्ति पूर्ण मानी जायेगी।

(ङ) रिक्त स्थानों की पूर्ति :- प्रबन्धकारिणी समिति में किसी भी पदाधिकारी या सदस्य का स्थान रिक्त होने पर साधारण सभा के बहुमत से शेष अवधि के लिए साधारण सभा के

सत्य प्रतिलिपि

Dr. Pankaj Kumar
Dr. Sangeet Kumar
Dr. Anil Kumar
3-1-2024

सत्य प्रतिलिपि
अनिल कुमार

सदस्यों में से किसी भी योग्य व्यक्ति का चुनाव कर लिया जायेगा।

(घ) प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्य :-

1. संस्था को सुचारु रूप से चलाने हेतु उपसमितियों का गठन करना।
2. संस्था के आय-व्यय एवं वार्षिक बजट पर विचार करना तथा उसे स्वीकृति देना।
3. संस्था के लिए चल-अचल सम्पत्तियों की व्यवस्था करना।
4. संस्था के लिए अनुदान, दान, धन्दा, उपहार, सरकारी, गैर सरकारी संस्थाओं आदि से प्राप्त करना।
5. वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति, विन्यक्ति आदि के लिए निर्णय लेना।
6. साधारण सभा में लिये गये निर्णयों पर उचित कार्यवाही करना।
7. आय-व्यय का रख-रखाव एवं वार्षिक हिसाब तैयार करना।
8. अन्य सभी अधिकारों का प्रयोग करना जो संस्था के हित में हो।

(ङ) कार्यकाल :-

प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल सामान्य रूप से 5 वर्ष का होगा।

9. प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य :-

अध्यक्ष:-

1. संस्था के साधारण सभा एवं प्रबन्धकारिणी समिति की बैठकों की अध्यक्षता करना।
2. बैठक में की गयी कार्यवाही को पढ़कर उस पर अपना हस्ताक्षर करना।
3. किसी भी विषय पर सदस्यों का मत एक समान न होने पर अपने निर्णायक मत का प्रयोग करना।
4. बैठकें बुलाने हेतु तारिखों का अनुमोदन तथा उसमें उचित परिवर्तन करना।
5. संस्था की समस्त प्रवृत्तियों पर दृष्टि रखना तथा उनका निर्देशन करना।
6. अन्य सभी अधिकारों का प्रयोग करना जो नियमानुसार नान्य हो।

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके द्वारा दिये गये कार्यभार के अनुसार कार्य करिष्ये

प्रतिपक्षी

विधान कर्ता

सत्यमेव जयते

इसे महात्मा जवाहरलाल नेहरू जी के जन्मदिन पर चिह्नित
साधारण सभा के अध्यक्ष

4

प्रबन्धक/महामंत्री :-

श्री श्रीमान् वेम.
श्री सायय मुन्ड
वेम डीम
Dara Singh
Suman Singh



उपप्रबन्धक/मंत्री:-

कोषाध्यक्ष:-

सत्य प्रतिलिपि

इसे महाप्रबन्धक
श्री श्रीमान् वेम एवं श्री
सायय मुन्ड के माध्यम से
बाध्यकारी किया जाएगा

3.1.2022

1. साधारण सभा तथा कार्यकारिणी समिति की बैठकों को नियमानुसार आहूत करना एवं बैठकों की कार्यवाही लिखना।
2. साधारण सभा द्वारा स्वीकृत नियमों के अनुसार कर्मचारियों की नियुक्ति, निलम्बन तथा त्रिमुक्ति आदि करना जिसकी स्वीकृति कार्यकारिणी समिति की बैठक से प्राप्त करना।
3. संस्था से सम्बन्धित समस्त अभिलेखों व कागजात का रख-रखाव करना तथा संस्था की सम्पत्तियों एवं धनराशियों के रख-रखाव का उचित प्रबन्ध करना।
4. संस्था के उद्देश्यों एवं हितों की पूर्ति के लिए सभी प्रकार के अनुदान, चन्दे, दान आदि प्राप्त करना।
5. वित्तिक कर्मचारियों के वेतन, वेतनवृद्धि तथा अन्य देय धनराशि और संस्था के समस्त आय-व्यय एवं धनराशियों तथा सम्पत्तियों के रख-रखाव से सम्बन्धित भुगतान की स्वीकृति प्रदान करना।
6. आय-व्यय का वार्षिक विवरण तैयार करना तथा आडिट कराना।
7. संस्था की ओर से पत्र व्यवहार करना।
8. संस्था से सम्बन्धित हर प्रकार की कानूनी अदालती कार्यवाही प्रबन्धक के माध्यम से की जायेगी।
9. प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा समय-समय पर प्रदत्त समस्त उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना।
10. सामान्य एवं विशेष आवश्यक बैठकें बुलाना, कोरम के अभाव में बैठकें स्थगित करना।
11. संस्था के आकस्मिक कार्य हेतु 2000/-रुपये तक नकद अपने पास रखना तथा आवश्यकता पड़ने पर खर्च करना।

प्रबन्धक की अनुपस्थिति में उनके समस्त अधिकारों का प्रयोग करना।

1. संस्था की निधियों/सम्पत्तियों का लेखा तैयार करना।
2. संस्था के आय-व्यय का हिसाब-किताब रखना।
3. संस्था के आय-व्यय का वार्षिक विवरण तैयार कर प्रबन्धक/महामंत्री को देना।
4. संस्था के लेखों की जांच लेखा परीक्षक से कराना।
5. संस्था का सदस्यता सूची तैयार रखना एवं उसे में जमा करना।

प्रतिलिपि कोषाध्यक्ष के माध्यम से
किसान कोषाध्यक्ष

(6)

8. संस्था के आकस्मिक कार्य हेतु 1000/-रुपये तक नकद अपने पास रखना और इससे अधिक धनराशि होने पर उसे तत्काल संस्था के कोष में जमा करना।

10. संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया :-

साधारण तना के दो तिहाई बहुमत से संस्था के नियमों एवं विनियमों में नियमानुसार संशोधन एवं परिवर्तन किया जायेगा। निर्णय की सत्य प्रतिलिपि रजिस्टार फर्म एवं सोसाइटीज को 10 दिन के अन्दर भेजनी होगी।

11. संस्था के कोष एवं सम्पत्ति:-

किन्ही भी स्थानीय राष्ट्रीयकृत बैंक या पोस्ट आफिस में संस्था के नाम से खाता खोलकर संस्था की समस्त धनराशियों को जमा किया जायेगा, जिसका संचालन प्रबन्धक एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा किया जायेगा।

12. संस्था के आय-व्यय का लेखा परीक्षण:-

संस्था के वित्तीय वर्ष के अन्त में प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा नियुक्त आय-व्यय निरीक्षक द्वारा संस्था के आय-व्यय का लेखा परीक्षण (आडिट) कराई जायेगा।

13. संस्था द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही का उत्तरदायित्व :-

संस्था द्वारा अथवा उसके विरुद्ध लगाये गये अदालती कार्यवाही के संचालन का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धक पर होगा।

14. संस्था के अभिलेख:- संस्था के अभिलेख निम्नलिखित होंगे।

Dr. Sajay Kumar

देवरा ३५२

Ravi Singh

Suman Singh

Dr. Shankar Singh

- क. कार्यवाही रजिस्टर
- ख. सदस्यता रजिस्टर
- ग. स्टाक रजिस्टर
- घ. कैश बुक आदि

15. संस्था के विघटन:-

संस्था के विघटन तथा उसके विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी।

सत्य प्रतिलिपि

दिनांक 16/1/2022

सत्य प्रतिलिपि एवं निरूपण एवं सोसाइटीज एवं निरूपण कार्यवाही के लिए वापस की

सत्य-प्रतिलिपि

Dr. Shankar Singh

हस्ताक्षर

प्रतिलिपि एवं निरूपण